न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2019

अपीलांट

1. किशन पुत्र रावत जी
2. जयचन्द पुत्र रावत जी
3. मोहन पुत्र हरदेव जी जाति माली निवासी बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. उगराराम पुत्र घीसाराम जी जाति माली निवासी बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली।
2. तहसीलदार जैतारण
3. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण
4. पटवारी जी पटवार हल्का बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री जगदीश सोंलकी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री शाकिर हुसैन, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22.07.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2014 बउनवान उगराराम वगैरा बनाम मोहन वगैरा में पारित आदेश दिनांक 13.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सूचना अनुपस्थित। उक्त पक्षकारान के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम धारा 5 म्याद परिसीमन अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट अपने पेशे से बाहर रहते है इस कारण से अपने वकील से संपर्क नहीं हो सका। दिनांक 01.02.2019 को जैतारण आकर अपने वकील साहब से मिलने पर जैर अपील आदेश का ज्ञान होने के पश्चात अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 07.02.2019 को नकल प्राप्त की। अपीलांट काश्तकार व्यक्ति है जिसकी आजिविका का मुख्य अधिकार खेती है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानो के विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2015 से 07.02.2019 तक का समय को क्षमा किया जाकर अपील म्याद शुमार फरमाई जावे। उसके पश्चात वकील अपीलांट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 128 व 136 भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना प्रस्तुत कर अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने बाबत अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक व पुश्तैनी आराजी है। एवं अपीलांट के पिता परपिता का देहान्त होने से अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ, अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर शुरू से आदिनांक तक शांति पूर्वक काबिज होकर काश्तकार करता आ रहा है। एवं कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड में हिस्सा सही दर्ज होने से वक्त सेटलमेंट से लेकर वर्ष 2014 तक रेस्पोडेन्ट ने किसी प्रकार की कोई उजरदारी प्रस्तुत नहीं की। अब केवल मात्र जमीन की कीमते बढने से रेस्पोडेन्ट ने बदनीयती से अपीलांट को तंग परेशान करने हेतु एवं जमीन हडपने की नीयत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकडेर्ड खातेदार है। जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने सर्वप्रथम धारा 5 प्रार्थना पत्र पर प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश दिनांक 13.06.2015 को पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया गया है। अपीलांट ने उक्त अपीलांट हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.02.2019 को लगभग 03 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई, साथ ही अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र में उक्त देरी का कोई उचित व पर्याप्त कारण दर्शित नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश रेस्पोडेन्ट एवं अपीलांट की उपस्थिति में पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपने अधिवक्ता से संपर्क बनाये रखना पक्षकार का कर्तव्य है, पक्षकार अगर अपने अधिवक्ता से सपंर्क नहीं बनाये रखता है तो यह पक्षकार की घोर लापरवाही है ऐसा लापरवाह पक्षकार अपनी स्वंय की लापरवाही का फायदा खुद नहीं उठा सकता है। यह कानून का निश्चित सिद्धान्त है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश का पूर्णतया ज्ञान था, उसके प्श्चात भी अपीलांट द्वारा 3 वर्ष के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है। जो कि म्याद बाहर है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खारिज किया जावे। उसके पश्चात अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 128 व 136 भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बलुन्द तहसील जैतारण में सायल संख्या एक के दादा व सायल संख्या दो के ससुर भोला पुत्र दाना के नाम की कृषि भूमि खसरा संख्या 960, 961 व 1015 कुल किता 3 रकबा 31.03 बीघा आई हुई है जिस पर शुरू से लेकर आज दिनांक तक सायल संख्या एक के दादा व दो के ससुर भोला वल्द दाना का 1/2 हिस्सा आता है तथा उसी माफिक सायलान का इस भूमि पर काबिज एवं काश्त करते आ रहे है मिसल बंदोबस्त संवत 2011 से 2030 में 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसे राजस्व कर्मचारियो ने जाबूझकर गैर साल को अवैध फायदा पहुचाने हेतु 1/2 हिस्सा में कांट छांट कर 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा गैर सायल हरदेव व रावत पुत्र भीका का नाम दर्ज कर आगे 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया मिसल बंदोबस्त में की गई कांट छांट स्पष्ट रूप से दृष्टव्य है इसलिये उपरोक्त खसरा नंबरान में सायल संख्या एक के दादा का 1/4 हिस्सा दुरूस्त कर 1/2 हिस्सा दर्ज कर सायल सायल एक का 1/2 का 1/4 व सायल संख्या दो का 1/2 का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे उसी अनुसार आगे का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर सायलान को खातेदार काश्तकार घोषित करावे। नकल मिसल बंदोबस्त व जमाबंदी सवंत 2068 से 2072 साथ पेश की है। सायलना की वंशवृक्षावली अनुसार मूल पुरूष भोला पुत्र घीसा हुआ घीसा के फौत होने के पश्चात वारिसान उगराराम भींयारा(फौत) अमराराम (फौत) एवं पत्नी फैनी है भीयराम की पत्नी गेरकी एवं पुत्र भुण्डाराम हुआ तथा अमराराम की पत्नी मेना एवं पुत्रगण राजू व मोती हुए खसरा नंबर 962, 964 व 1017 व खसरा नंबर 963/2333 कुल किता 5 किस्म बारानी दोयम रकबा 71.05 बीघा एवं खसरा नंबर 965 रकबा 34.14 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है उपरोक्त भूमि में सायल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या एक के दादा दो के ससुर भोला पुत्र दाना का नाम व 1/2 हिस्सा राजस्व कर्मचारियों की भूल से दर्ज करना रह गया है तथा उसका हिस्सा भी 1/4 गलत दर्ज कर दिया है तथा राजस्व रेकर्ड में भोला पुत्र दाना का पूरा ही नाम हटा दिया प्रमाणित नकल बेरावार में सायलान के दादा भेला पुत्र दाना का नाम दर्ज है तथा इनका 1/4 हिस्सा व सायल संख्या दो का 1/2 में से 1/4 व सायल संख्या दो का 1/2 में से 1/4 हिस्सा दर्ज करवाकर एवं भोला पुत्र दाना का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज फरमाकर उसी अनुसार आगे का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर खातेदार घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की इस्तदुआ चाही। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। एवं वादग्रस्त आराजी के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद विचाराधीन है। मूल वाद के विचाराधीन रहते हुए अपीलांट अगर वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान हस्तानान्तरण कर देते है तो इससे रेस्पोडेन्टगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं सकेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया हैं जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमन अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष जैर अपील आदेश के 3 वर्ष पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। इस संबध में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा 2017 (2) आर.आर.टी 1104 गणपतलाल बनाम युवराजसिंह सोलंकी में यह प्रतिपादित किया है कि " परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–53 व 224–सह–हिस्सेदारो के बीच विभाजन हेतु वाद–राजस्व अपील प्राधिकारी ने गुणवागुण पर विचार किये बिना मियाद के आधार पर अपील खारिज की–तकनीकी आधार पर एक पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये–निर्णीत, आदेश अपास्त किया व पुनः निर्णीत करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया।" इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणवागुण पर मजबूत होता है तो उसे केवल मियाद के आधार पर निर्णीत नहीं कर गुणवागुण पर निर्णीत करना चाहिये। जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि– चूंकि प्रकरण सहखातेदारी की भूमि के बंटवारे बाबत है। यदि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो उसके हितो पर कुठाराघात होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रकरण को मियाद के बिन्दु पर खारिज न कर गुणवागुण पर निर्णीत करना चाहिये था। अपील स्वीकार/रिमांड।" अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है अगर अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है तो निश्चय ही उसके हितो पर कुठाराघात होगा, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण पर उक्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते हैं। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद शुमार की जाती है। अब जहां तक हस्तगत प्रकरण में गुणवागुण पर निर्णय पारित करने का प्रश्न है तो हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। हस्तगत प्रकरण में विधिक प्रश्न यह उठता है कि क्या रेकर्डेड खातेदार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित है अथवा नही ? इस सम्बन्ध **2013(2) RRT Page 828 Rameshi vs. Kajod & ors** esa izfrikfnr fd;k fd ^^Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- temporary Injunction application rejected & affirmed by the appellate Court-Land not recorded in the Khatedari of the plaintiff- No. T.I. can be granted against the recorded khatedar- Possession of non-petitioners no. 3 & 4 would be treated after the death of 'B'- Petitioner failed to prove possession- objection raised can only be decided during trail-Concurrent judgments- Held, No illegality or perversity in the order. **2012(2) RRT Pg. No. 1439 Pooran Chand & ors. V/s. Gopal Prasad & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Trail court restrained both the parties but RAA Dismissed the application of the petitioners – Land recorded on Khatedari of GP – No Revenue entry in favour of the petitioners – Khatedari of 'GP' is based in the registered sale deed Appellate court not found the Prima facie case in favour of the petitioner 'KP' & ors. – Concurrent finding regarding Khatedari & possession – No T.I. can be granted against the recorded Khatedar holding possession – Held, R.A.A. has not committed any illegality or jurisdictional error.(Para's 7,8). **2009(2) RRT Pg. No. 1327 Nannu Ram (Dead) through L.Rs. V/s.Jorlam & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction RAA st aside the order – Revision – suit for declaration on the basis of adverse possession – Petitioner admitted that non-petitioners are recorded Khatedar- Both the parties are claiming possession & their question cannot be decided as this stage – Held, no error in the order & upheld. (Para's 5,7). **RRT 2013(1) Pg. No. 133 Kalu & ors. V/s. Jagdish Prasad & ors.** में प्रतिपादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- RAA set aside the order of granting TI – Non-petitioner purchase the land from the recorded Khatedar of the land by regd. Sale deed- Petitioners are required to prove their case by producing evidence – Prima facie case in favour of the non- petitioners – Held, No Jurisdictional error in the order. (Para's 7,8). **RRT 2013(2) Pg. No. 805 Narayan Singh & ors. V/s. Ramesh** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary injunction – Trail court directed the parties to maintain the status quo of revenue record & at site – Appeal dismissed – Order should have been passed on merits considering the three necessary elements- Held, orders are set aside & case remanded to trail Court.(Para's 7 ,9). **2006-07(supp.) RRT, Pg. No. 368 Dhanni V/s. Ramuram** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Revision – Scope – Temporary injunction refused- Order upheld in appeal – Petitioner failed to prove prima facie case, balance of convenience & irreparable loss – Rights & title will be decided in regular suit – Possession not proved – Scope of revision is very limited – Re-appreciation of facts in not. Justified-Held, Revision deserves to be dismissed.(Para's 9,10). **RRT 2015(1) Pg. No. 633 Awtar Khan V/s. Mehar Bano & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Applications dismissed – Respondent No. 1 & 2 are the recorded Khatedar of the land & no temporary Injunction can be granted – Concurrent finding – Limited scope – Held, No material illegality or jurisdictional error in the order. (Para's 8,9). **RRT 2015(1) Pg. No. 560 Jhanwari Lal & ors V/s. the Board of Revenue & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – R.A.A. Set aside the order of granting T.I. & Affirmed by the BOR – Registered sale deed in favour of 'B' husband of the respondent no. 2 – No prima facie case found in favour of the petitioners – Held, No error in order of rejecting revision. (Para's 9,10,11). **RRT 2014(2) Pg. No. 1301 Goparam & ors V/s. Harima Ram & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Application for granting T.I. was dismissed – Defendants / non-applicants are the recorded Khatedar of the land & they are in possession of the land – Concurrent findings – Held, No T.I. can be granted & order

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

suffered with no irregularity or illegality.(Para 7). **RRT 2004(1) Pg. No. 587 Kaushlya V/s.Chotu & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- P&N purchased the land from non-petitioner nos. 1 to 3 who subsequently sold to non-petitioners nos. 5 to 9 & they are in possession of land – No Possession of plaintiff – 1/5 share claimed by plaintiff in property being ancestral – No prima facie, or balance of convenience in favour of petitioners – Held, no illegality or irregularity in the order of R.A.A. (Para's 7,8). **RRT 2009 (2) Pg. No. 1398 Ramjuddin & ors V/s. Ganesh Kumar & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Name of non-petitioner no. 1 entered wrongly in the revenue record – Suit relating to land is pending disposal since 1995 – Non Petitioner sold the Land to non-petitioner no. 2 & 3 pending suit-Non-petitioner no. 1 recorded Khatedar & petitioner has not produced any document of possession – No T.I. can be granted against a recorded Khatedar – Concurrent findings – Interference not justified.(Para 7). **RRT 2009(2) Pg. No. 1393 Dhupa V/s. Mamman & ors** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212 & 230 - Application for granting T.I. rejected in absence of the prima facie case – revision – Non-Petitioners are recorded Khatedar of the disputed land & they are in possession – No proof produced to show possession – Concurrent finding – Held, No case made out for interference.(Para's 8,9). **RRT 2001(2) Pg. No. 1261 Smt. Prakash Kanwar & ors V/s. Kailash Chandra & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Land in disputed is a firm property – ½ share was of plaintiff's father & half share was of 'S' & 'R' who sold it to 'R', 'K' & 'R' through regd. Sale deed – 'R', 'K' & 'R' again sold to land to 'P', 'A' & 'M' through Regd. Sale deed - Parties are joint recorded Khatedar & co-tenant – Held, No order of T.I. can be passed against co-tenant to deprive them from use if their share & also cannot be evicted & orders are set aside.(Para's 9, 10). **RRT 2010(2) Pg. No. 1392 Ramkaran & ors. V/s. Smt. Ghewari & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Application and Appeal rejected – G.R. was the co-tenant & he sold the land to 'G' & and she became Khatedar – No name of 'KR' in Kh. No. 10 nor he has possession – No document produced to prove the land

ancestral – Recorded Khatedar Cannot be restrained from selling his share – Concurrent finding – Held, No illegality in the order. (Para's 11, 12). **RRT 2009(2) Pg. No. 1327 Nannu Ram (dead) through L.Rs. V/s. Jormal & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – R.A.A. set aside the order – Revision – Suit for declaration on the basis of adverse possession – Petitioners admitted that non-petitioners are recorded Khatedar – Both the parties are claiming possession & their question cannot be decided at this stage – Held, No error in the order & upheld. (Para's 5,7). हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिसे रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद व अपील में स्वीकार किया हैं। उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तो की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश हाजा न्यायालय की राय में समर्थन योग्य प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार जाती है तथा उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2014 बउनवान उगराराम वगैरा बनाम मोहन वगैरा में पारित आदेश दिनांक 13.06.2015 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली